भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1155
दिनांक 14.12.2022 को उत्तर देने के लिए

ओडिशा में विस्थापित लोग

†1155. श्री जुएल ओराम:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने ओडिशा में नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) और महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए ओडिशा के लोगों की समस्याओं की समीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी है;और
(ग) उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): जी हां, ओडिशा सरकार द्वारा गठित पुनर्वास और परिधि विकास सलाहकार समितियों (आरपीडीएसी) द्वारा ओडिशा के लोगों, जिन्हें नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) की परियोजनाओं के कारण विस्थापित किया गया है, की समस्याओं की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (एमसीएल) में भूमि अधिग्रहण, वृक्षों/फसलों और अवसंरचनाओं के लिए क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) के अनुसार किया जाता है और कोयला संपन्न क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 (सीबीए (एएवंडी) अधिनियम, 1957) के तहत एमसीएल को भूमि का अधिकार देने के पश्चात् ग्रामीणों को भुगतान किया जा रहा है।

(ख) और (ग): नालको के परियोजना कार्यकलापों के कारण कुल 635 व्यक्तियों को विस्थापित किया गया। जिनमें से 600 व्यक्तियों को दामनजोड़ी, कोरापुट जिले में विस्थापित किया गया और 35 व्यक्तियों को अंगुल जिले में विस्थापित किया गया। दामनजोड़ी में 600 भूमि विस्थापित व्यक्तियों (एलडीपी) में से, 599 भूमि विस्थापित व्यक्तियों/उनके नामित व्यक्तियों को नालको में रोजगार दिया गया। शेष एक मामले के संबंध में नामित व्यक्ति के पारिवारिक विवाद के कारण उसके नाम को अंतिम रूप नहीं दिए जाने की वजह से जिला प्राधिकरण से निर्णय प्रतीक्षित है। अंगुल में 35 भूमि विस्थापित व्यक्तियों में से, 34 भूमि विस्थापित व्यक्तियों/उनके नामित

व्यक्तियों को नालको में रोजगार दिया गया जबकि एक भूमि विस्थापित व्यक्ति ने रोजगार के बदले में एक बारगी नकद सहायता को वरीयता दी। एमसीएल में अब तक परियोजना विस्थापित परिवारों के रूप में 17,214 परिवारों की पहचान की जा चुकी है और तथा 12,318 परिवारों को पुनर्वास लाभ दिया गया है। 12,318 परिवारों में से मात्र 8300 परिवार स्वीकृत पुनर्वास लाभ प्राप्त करने के पश्चात् स्थानांतरित हुए हैं। अभी तक एमसीएल द्वारा अधिग्रहीत भूमिधारी के पक्ष में संबंधित भूमि मालिकों को अधिग्रहीत पट्टे पर दी गई भूमि और अवसंरचनाओं के एवज में 4235 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया गया है। एमसीएल ने एमसीएल के 03 परिचालन जिलों के प्रभावित परिवारों के 17,606 नामितों (16,273 रोजगार + 1276 नकद क्षतिपूर्ति+ 57 वार्षिकी) को पुनर्वास लाभ (रोजगार/नकद क्षतिपूर्ति/ वार्षिकी) दिया है। एमसीएल भूमि विहीन लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न उपकरणों (टूल्स) को अपना रहा है।

*****